25/5/2021	पत्रावली पेश हुई। बहस वकील जायकव पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली के निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना में तहसील तहसीलदार करौली को जावे हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	जारी 1251 2-6-2021

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.06.02 16:10:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 78/2018 आर सी एम एस नं. 2018/00113 तारीख रजू 26.12.2018

1. मदनमोहन, 2. हरिओम, 3. ओमप्रकाश — पुत्रान गिर्राज
4. गुड्डी, 5. रामनिरी — पुत्रीयान गिर्राज
6. प्रेम पत्नी स्व0 गिर्राज
7. रत्तीराम पुत्र कन्हैया
8. केसूला पुत्री कन्हैया
9. रामसिंह, 10. रूपसिंह, 11. धनसिंह — पुत्रान कमल
12. रामरित, 13. सुगर बाई — पुत्रीयान कमल
14. उगन्ती पत्नी स्व0 कमल

समस्त जातियान गुर्जर निवासी ससेडी तहसील व जिला करौली — प्रार्थीयान

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील जिला करौली — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर.एक्ट

उपस्थिति 1. श्री विष्णुचंद बंसल वकील प्रार्थीयान

2. पेरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक :–25.05.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नंबर 746 लगायत 751, 757, 880 लगायत 885 कुल किता 13 कुल रकबा 43 बीघा 08 विस्वा वाके ग्राम ससेडी पटवार मण्डल ससेडी तहसील करौली में स्थित है जो प्रार्थीयान के पितामह [illegible] के नाम रही है कन्हैया व कमल का स्वर्गवास हो जाने पर विरासत नामान्तर[illegible] से प्रार्थीयान के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है जो जमाबंदी सम्बत [illegible] संवत 2056 से 59 तैयार करते समय राजस्व कर्मियों पटवारी व गिरदावर [illegible] आराजीयात में प्रार्थीयान के पितामह व ससुर, पिता को [illegible] दिये गलत तौर पर देवताओं से संबंधित नोट अंकित कर दिया गया है जो विधि विरूद्ध है क्योंकि जमाबंदी संवत 2052 से 55 में देवताओं से संबंधित कोई नोट नही है अप्रार्थी को बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय के पूर्व राजस्व रिकार्ड का बदलने का अधिकार नही है बल्कि पूर्व जमाबंदी राजस्व रिकार्ड को रिपीट करने का दायित्व है इस प्रकार संवत 2060 से 63 व संवत 2056 से 59 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.06.02 16:10:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त आराजीयात मे देवताओं के संबंध नोट निराधार है जो हटाये जाने योग्य है। प्रार्थीयान ने दिनांक 19.12.2018 को अप्रार्थी से उक्त आराजीयात में से देवताओं से संबधित नोट को हटाने का आवेदन व निवेदन किया तो अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालयों में कार्यवाही करने को कहा गया। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उपरोक्त आराजीयात में से देवताओं संबंधित जोत को हटाऐं जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस से तलब किया गया अप्रार्थी ने दिनांक 30.04.2021 को जवाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम ससेडी के आराजी खसरा नंबर 746 लगायत 751, 757,880 लगायत 885 कुल किता 13 कुल रकबा 43 बीघा 08 विस्वा वाके ग्राम ससेडी पटवार मण्डल ससेडी तहसील करौली में स्थित है जो संवत 2072 से 75 की जमाबंदी में कन्हैया, कमल पिता प्यारसिह (देवताओं सें संबंधित जोत) अंकित है और नामान्तकरण सं0 597 दिनांक 27.01.2017 से प्रार्थीयान के नाम खातेदारी दर्ज हुई है जमाबंदी संवत 2052 से 55 में भूमि राज सरकार और काश्तकार का नाम कन्हैया, कमल पिता प्यारसिह जाति गुर्जर निवासी ससेडी के नाम तथा संवत 2060 से 63 में राज्य सरकार और काश्तकार का नाम कन्हैया, कमल पिता प्यारसिह (देवताओं सें संबंधित जोत) राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है तथा संवत 2056 से 59 में भी कन्हैया, कमल पिता प्यारसिह (देवताओं सें संबंधित जोत) राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। ग्राम ससेडी की जमाबंदी संवत 2056 से 59 में देवताओं से संबंधित नोट का अंकन किस आदेश की पालना में किया गया है कार्यालय हाजा में उक्त संवत की जमाबंदी का रिकार्ड उपलब्ध नही होने के कारण पता नही चल पा रहा है।

इसी संदर्भ में जिला अभिलेखागार (भू–अभिलेख) क्लेक्ट्रेट करौली से विवादित आराजी के संबंध में साबिक जमाबंदिया संवत 2015 एवं संवत 2019 से 22, 2023 से 26, 2027 से 30, 2031 से 34, 2035 से 38, 2039 से 42, 2044 से 47, 2048 से 51 से प्राप्त की गई।

वकील प्रार्थीयान एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वकील प्रार्थी ने अपने बहस कथन में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 746 लगायत 751,757, 880 लगायत 885 कुल किता 13 कुल रकबा 43 बीघा 08 विस्वा वाके ग्राम ससेडी पटवार मण्डल ससेडी तहसील करौली में है जो जमाबंदी संवत 2052 से 55 में भूमि प्रार्थीयान के पितामह ससुर, पिता कन्हैया व कमल के नाम खातेदारी में दर्ज रही है जिसमें देवताओं से संबंधित कोई जोत अंकित नही है। पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का द्वारा जमाबंदी संवत 2056 से 59 एवं इसके आगे सभी जमाबंदियों में देवताओ से संबंधित नोट अंकित किया गया है। नोट अंकित करने का कोई विधिवत सुनवाई का नोटिस नही दिया गया है जो नोट अंकित किया गया है वह निराधार है भूमि कभी भी मंदिर माफी/ देवताओं से संबंधित [illegible] नही रही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए देवताओं से संबंधित नोट को ह[illegible]

पेरोकार सरकार का बहस में कथन है कि ग्राम ससेडी के आराजी खसरा नंबर 746 लगायत 751, 757, 880 लगायत 885 कुल किता 13 कुल रकबा 43 बीघा 08 विस्वा वाके ग्राम ससेडी पटवार मण्डल ससेडी तहसील करौली में है जो वर्तमान जमाबंदी में देवताओं से संबंधित जोत अंकित है जमाबंदी संवत 2056 से 59 में यह नोट कैसे अंकित किया गया है कार्यालय हाजा में किसी प्रकार का रिकार्ड नही है। प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.06.02 16:10:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(3)

वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं भू–अभिलेख जिला अभिलेखागार करौली से प्राप्त उक्त आराजीयात के संबंध में साबिक जमाबंदिया संवत 2015 एवं संवत 2019 से 22, 2023 से 26, 2027 से 30, 2031 से 34, 2035 से 38, 2039 से 42, 2044 से 47, 2048 से 51 से हुई। जिसमें जमाबंदी संवत 2015 के कॉलम संख्या 5 मे कृपक कन्हैया व कमल पुत्रान प्यारसिंह जाति गुर्जर निवासी ससेडी के नाम दर्ज रही है और रिजमशन होकर जमाबंदिया संवत 2019 से 22, 2023 से 26, 2027 से 30, 2031 से 34, 2035 से 38, 2039 से 42, 2044 से 47, 2048 से 51 तक इसी अनुसार प्रार्थीयान के पितामह ससुर व पति कन्हैया कमल पिसरान प्यारसिह जाति गुर्जर के नाम दर्ज रही है जिसमें देवताओं से संबंधित नोट अंकित नही है तथा जमाबंदी संवत 2052 से 55 एवं जमाबंदी 2056 से 59 में भी भूमि इन्ही के नाम रही है। जिसमें किसी प्रकार का देवताओं से संबंधित नोट नही है संवत 2060 से 63 एवं संवत 2072 से 75 में इस आराजी में खातेदारों के साथ–साथ देवताओं से संबंधित जोत अंकित की गयी है। जमाबंदी संवत 2060 से 63 में खातेदारों के साथ देवताओं से संबंधित नोट किस आधार पर अंकित किया गया है ना ही जमाबंदी मे किसी सक्षम न्यायालय का आदेश अंकित नही है ना ही विवरण कॉलम में किसी प्रकार का नोट आदि अंकित नही किया गया है आराजीयात को जमाबंदी के कॉलम नम्बर 4 में देवताओ से सम्बंधित जोत का इन्द्राज निराधार है अनाधिकार होना प्रकट होता है तथा तहसीलदार करौली से प्राप्त जबाव में इस नोट के संबंध में किसी प्रकार का आदेश की प्रति भी पेश नही की गई है मात्र यह कथन किया गया है कि देवताओं से संबंधित जमाबंदी में 2060 से 63 में देवताओं से संबंधित अंकन किस आदेश से किया गया है कार्यालय हाजा में रिकार्ड उपलब्ध नही है जिससे यह ज्ञात होता है कि पटवारी द्वारा बिना आदेश से यह नोट बिना किसी आधार के लगाया गया है जो गलत है जिससे हटाया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान का स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान का खिलाफ अप्रार्थी का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा आराजी खसरा नम्बर 746,747,748,749,750,751,757,880,881,882,883,884,885 कुल किता 13 कुल रकवा 43 बीघा 08 विस्वा वाके ग्राम ससेडी पटवार मण्डल ससेडी तहसील व जिला करौली में जमाबंदी के कॉलम नम्बर 4 में हुए देवताओ से सम्बंधित इन्द्राज को हटाये जाने के आदेश दिये जाते है अप्रार्थी/तहसीलदार करौली कॉलम नम्बर 4 के इन्द्राज देवताओ से सम्बंधित को हटा कर प्रार्थीयान के खातेदारी कॉलम नम्बर 4 में इन्द्राज किये जावे। इन्द्राज को हटाने के लिए तहसीलदार करौली को पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2021 खुले न्यायालय मे लिखा कर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.06.02 16:10:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with CamScanner